उ0प्र0 शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1
संख्या–4934/60–1–10–1/13(71)/06
लखनऊ: दिनांक: 02 दिसम्बर,2010

कार्यालय ज्ञाप

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम–2000 (2006 के संशोधन अधिनियम–33 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के उपरान्त प्रदेश में दिनांक 24–11–2010 से समेकित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) लागू हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारियों को अपने–अपने जनपदों में जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DISTRICT CHILD PROTECTION OFFICER) नामित किया जाता है। जिन जनपदों में विभागीय जिला प्रोबेशन अधिकारी का पद रिक्त है, उनमें जिला प्रोबेशन अधिकारी के पदगत दायित्वों का निर्वहन करने वाले अधिकारी ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/60–1–10–1/13(71)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(भावना श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव